



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072024-255217
CG-DL-E-05072024-255217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2024/आषाढ 14, 1946

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2024/ASHADHA 14, 1946

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 370(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'क') सेवा नियम, 1989 का अधिक्रमण करते हुए, उन मामलों, बातों के सिवाय जिन पर ऐसे अधिक्रमण से पहले कार्य किया गया या किए जाने से लोप किया गया, भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा के पदों पर भर्ती पद्धति और सेवा शर्त को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'क') सेवा नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- परिभाषा- इस नियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण" से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
 - "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
 - किसी भी श्रेणी के संबंध में "विभागीय पुष्टि समिति" से इस नियम की अनुसूची-IV में यथासूचित किसी भी श्रेणी में

नियुक्ति की पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

- (घ) किसी श्रेणी के संबंध में "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इस नियम की अनुसूची-IV में यथासूचित किसी श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "विभागीय छानबीन समिति" से इस नियम की अनुसूची-IV में यथासूचित वरिष्ठ समय मान (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी) में नियुक्ति पर विचार करने और भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में विभिन्न पदों के लिए अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (च) "ड्यूटी पद" से अनुसूची-I में सम्मिलित कोई भी पद अभिप्रेत है;
- (छ) "परीक्षा" से आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा अभिप्रेत है;
- (ज) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) "श्रेणी" से अनुसूची-I के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कोई भी श्रेणी अभिप्रेत है;
- (ञ) किसी भी श्रेणी में "नियमित सेवा" से नियम के अनुसार उस श्रेणी में चयन और नियमित नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में प्रदत्त सेवा की अवधि अभिप्रेत है और इसमें ऐसी कोई भी अवधि या अवधियां शामिल हैं:-

- (i) जिन पर इस नियम को अधिसूचित किए जाते समय पहले से सेवारत लोगों के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ ध्यान दिया गया हो;
- (ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी को, अवकाश पर रहने के सिवा अथवा ऐसे पद धारित करने के लिए अनुपलब्धता के सिवा, धारित किए हुए होता।

- (ट) "अनुसूची" से इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ठ) "सेवा" से इस नियम के नियम 3 के अनुसार गठित भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा अभिप्रेत है;
- (ड) शब्द 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति', 'अन्य पिछड़े वर्ग', 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' और 'विकलांग व्यक्तियों' के अर्थ वही होंगे जो भारत के संविधान या संसद के अधिनियमों या सरकारी आदेशों में उनके लिए क्रमशः निर्धारित किए गए हैं।

3. सेवा की स्थापना - (1) भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा, नियम 6 और नियम 7 के अनुसार, सेवा में नियुक्त व्यक्ति से बनी होगी।

(2) सेवा में शामिल सभी पदों को समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

4. श्रेणी, प्राधिकृत पदसंख्या और उसकी समीक्षा- (1) विभिन्न श्रेणियों में उल्लिखित ड्यूटी पद, उनकी संख्या तथा इस नियम के प्रारंभण की तारीख को वेतन मैट्रिक्स में स्तर, अनुसूची-I में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

(2) सेवा के विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की अधिकृत संख्या की केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और उनकी संख्या का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और/या व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर विहित की गई स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(3) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और/या व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर अधिकथित स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर, ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(4) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण, आयोग और केन्द्रीय सरकार [विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, व्यय विभाग (जहां

भी लागू हो) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग] के परामर्श से, अनुसूची-I में शामिल पदों से भिन्न ऐसे पदों को सेवा में शामिल कर सकता है जो दर्जे, श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और व्यावसायिक विषयों में सेवा में शामिल पदों के समतुल्य हों, या उक्त अनुसूची में शामिल किसी पद को सेवा से बाहर कर सकता है।

(5) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण, आयोग के परामर्श से, उप-नियम (4) के अनुसार सेवा में सम्मिलित किसी अधिकारी को उपयुक्त श्रेणी में अस्थायी क्षमता या अधिष्ठायी क्षमता में, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त कर सकता है और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों और निर्देशों के अनुसार ऐसी श्रेणी में उसकी वरिष्ठता निर्धारित कर सकता है।

5. सेवा सदस्य - (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) नियम 6 के अनुसार ड्यूटी पद पर नियुक्त समझा गया व्यक्ति; और

(ख) नियम 7 के अनुसार ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अनुसार नियुक्त किसी व्यक्ति को सेवा की प्रारंभिक स्थापना की तारीख से उसके लिए प्रयोज्य उपयुक्त श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट उसके लिए प्रयोज्य उपयुक्त श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा की प्रारंभिक स्थापना भारतीय सर्वेक्षण - समूह 'क' सेवा के सिविलियन वर्ग के अधिकारी जो भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'क') सेवा नियम, 1989 के अनुसार नियमित आधार पर उस सेवा के विभिन्न श्रेणियों में पद धारण करते हैं या इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे पदों पर धारणाधिकार रखते हैं, सेवा में उचित ड्यूटी पदों पर और श्रेणियों में, यथास्थिति, अधिष्ठायी या स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त माने जाएंगे।

7. भविष्य में सेवा का अनुरक्षण - किसी भी श्रेणी में रिक्तियां उसी रीति से भरी जाएंगी, जैसाकि इसके आगे उपबंधित है:-

(क) कनिष्ठ समयमान श्रेणी में रिक्तियों का पचास प्रतिशत, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(ख) कनिष्ठ समयमान के श्रेणी में रिक्तियों का पचास प्रतिशत अधिकारी सर्वेक्षकों की प्रोन्नति के आधार पर आयोग के परामर्श से अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अनुसूची-IV के अनुरूप गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों से भरा जाएगा।

(ग) वरिष्ठ समयमान (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी) को छोड़कर, वरिष्ठ समयमान और उससे ऊपर के पदों पर सेवा में नियुक्तियां अनुसूची-III के उपबंधों के अनुसार, अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 'चयन' द्वारा, की जाएंगी।

परंतु उच्च प्रशासनिक श्रेणी में भारतीय महासर्वेक्षक का पद अनुसूची-III के उपबंधों के अनुसार, आयोग के परामर्श से, प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरा जा सकता है।

(घ) वरिष्ठ समयमान (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी) में नियुक्ति अनुसूची-III के उपबंधों के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी जो अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्तता के अध्यधीन होगी।

8. वरिष्ठता - (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता उनके संबंधित श्रेणी में वह सापेक्ष वरिष्ठता होगी जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले अवधारित की गई हो:

परन्तु यदि सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है तो वह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए साधारण अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) सेवा की प्रारंभिक स्थापना के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा- (1) नियम 7 के खंड (क) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा या नियम 7 के खंड (ख) के अनुसार प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे:

परन्तु संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण समयसमय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है:

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी विनिश्चय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद आठ सप्ताह के भीतर साधारणतया किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के पूरा होने पर, यदि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति पर बनाए रखा जाएगा तथा उन्हें सम्यक अनुक्रम में, यथास्थिति, स्थायी कर दिया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के दौरान, यथास्थिति, सरकार की राय में कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार उस अधिकारी को सेवा से मुक्त कर सकती है या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर, जैसा भी मामला हो, वापस कर सकती है।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के दौरान, सरकार द्वारा अभ्यर्थी से यह अपेक्षा होगी कि वह परिवीक्षा के संतोषजनक समापन की शर्त के रूप में प्रशिक्षण और अनुदेश के ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेगा तथा परीक्षा और परीक्षण (जिसमें हिंदी में परीक्षा भी शामिल है) उत्तीर्ण करेगा, जैसा कि सरकार उचित समझे।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्य इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा अभिशासित होंगे।

10. अकृत्यिक उन्नयन—(1) विभागीय छानबीन समिति की सिफारिशों पर सेवा के विभिन्न श्रेणियों (उच्च प्रशासनिक श्रेणी तक) में पात्र अधिकारियों को अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट, अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा, जब भी राज्य या संयुक्त संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के विशिष्ट स्तर में वेतन वाले किसी विशेष श्रेणी में केंद्र में तैनात किया जाता है, तो सेवा के बैचों के अधिकारी को, जो दो या उससे अधिक वर्ष वरिष्ठ हैं और जिन्हें अभी तक उस विशेष श्रेणी में पदोन्नत नहीं किया गया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 24 अप्रैल, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी. 14017/64/2008-स्था.(आरआर) के उपाबंध-I के उपाबंध के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, केंद्र में उस विशेष श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान किया जाएगा।

(2) सरकार द्वारा इस मामले में जारी आदेशों और अनुदेशों में विहितानुसार, निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति संबंधी मानक जैसे कि सेवा के किसी विशेष श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 'बैचमार्क' आदि सहित सभी शर्तें उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए छानबीन के समय पूरी की जानी होंगी।

(3) अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए सेवा के अधिकारियों के 'बैच' का विनिश्चय इसके आगे उपबंधित रीति से किया जाएगा:

(क) प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ समयमान) में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के संबंध में, 'बैच' वर्ष उस वर्ष के बाद का वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी जिसके माध्यम से उनका चयन किया गया था। सेवा के बाद के

श्रेणी में प्रोन्नत अधिकारी का बैच विभिन्न वेतन स्तरों में अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के उद्देश्य से समान रहेगा, बशर्ते कि अधिकारी को किसी भी कारण से अधिक्रमित न किया गया हो। यदि किसी अधिकारी को अधिक्रमित किया जाता है, तो अधिकारी पर उस 'बैच' के साथ विचार किया जाएगा जिसके साथ उसकी वरिष्ठता निर्धारित की गई है।

(ख) प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ समयमान) में प्रोन्नति के माध्यम से सेवा में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के संबंध में, बैच वर्ष सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों का 'बैच' होगा, जिनके साथ उनकी ज्येष्ठता को सेवा में जोड़ा जाएगा। सेवा की पश्चातवर्ती श्रेणियों में प्रोन्नत अधिकारी का बैच विभिन्न वेतन स्तरों में अकृत्यिक उन्नयन के लिए समान रहेगा, परंतु अधिकारी को किसी भी कारण से अधिक्रान्त न किया गया हो। यदि किसी अधिकारी को अधिक्रान्त किया जाता है, तो अधिकारी पर उस 'बैच' के साथ विचार किया जाएगा जिसके साथ उसकी ज्येष्ठता नियत की गई है।

11. सेवा नियुक्ति- सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सभी झूटी पदों के लिए सभी सेवा नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

12. भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें - (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) उन विषयों के संबंध में सेवारत सदस्यों की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, वही होंगी जो यथासमय केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

13. निरर्हता - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

14. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. निर्वचन- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची-I

[नियम 2(च), 2(झ), 4(1) , 4(4) और 5(3) देखें]

श्रेणी, पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और सेवा में झूटी पदों की प्राधिकृत संख्या:

क्रम सं.	श्रेणी	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	प्राधिकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी)।	भारतीय महासर्वेक्षक।	स्तर:15 (182200-224100 रु.)।	1
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	अपर महासर्वेक्षक।	स्तर:14 (144200-	08

	(एसएजी)।		218200 रु.)।	
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)।	उप महासर्वेक्षक/निदेशक।	स्तर:13 (123100 - 215900 रु.)।	25
4.	ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस) (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी)।	अधीक्षण सर्वेक्षक।	स्तर:12 (78800-209200 रु.)।	*
5.	ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस)।	अधीक्षण सर्वेक्षक।	स्तर:11 (67700-208700 रु.)।	47 (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी सहित)
6.	कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)।	उप-अधीक्षण सर्वेक्षक।	स्तर:10 (56100-177500 रु.)।	84
कुल				165

* ज्येष्ठ झूटी पदों का अधिकतम 30% (अर्थात् ज्येष्ठ समय मान और उससे ऊपर के पद), परंतु ज्येष्ठ समयमान सहित कुल संख्या, ज्येष्ठ समय-मान की प्राधिकृत संख्या से अधिक नहीं होगी। अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी का संचालन समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 21.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1671777510047 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूची-II

[नियम 7(क) देखें]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में उप अधीक्षण सर्वेक्षक के पद पर सीधी भर्ती, आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर होगी। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु-सीमा इस प्रकार होंगी:-

शैक्षिक अर्हता- (क) भारत के संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त; या

(ख) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया (भारत) की संस्थापन परीक्षाओं के खंड क और ख में उत्तीर्ण; या

(ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था, जो इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा और ऐसी अन्य अर्हताएं जो इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विहित की गई हैं।

आयु-सीमा – अभ्यर्थी को इक्कीस वर्ष की आयु का होना चाहिए, किंतु वह भर्ती के समय आयोग द्वारा विज्ञापित आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख को तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुसूची-III

[नियम 7 (ख), 7 (ग) और 7 (घ) देखें]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित झूटी पदों में प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति क्षेत्र और आगामी निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा:

क्र. सं.	श्रेणी (झूटी पद)	भर्ती की पद्धति	चयन के क्षेत्र तथा प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्तर 15 (182200-224100रु.) में उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी)। (भारतीय महासर्वेक्षक)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	चयन आधार पर प्रोन्नति के लिए: (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सेवा के अधिकारी जिन्होंने

		द्वारा	<p>नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ii) सेवा में समूह 'क' पदों में पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा के साथ सेवा के अधिकारी जिनमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए:</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन अधिकारी जिन्होंने सदृश पद या श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रु.) में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) में पद धारण किया हो और निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) इंजीनियरी में डिग्री या एक विषय के रूप में भू-सूचना विज्ञान या भू-स्थानिक विज्ञान या भूगणित या गणित या भौतिकी के साथ मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) किसी इंजीनियरी संगठन या संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोगशाला के संगठन और प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>सर्वेक्षण, फोटोग्रामेट्री या भूगणित या सहबद्ध विषयों में अनुभव।</p> <p>(अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं)</p> <p>टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
2.	स्तर 14 (144200-218200 रु.) में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)। (अपर महासर्वेक्षक)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	<p>(i) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी सेवा के अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रु.) में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(ii) सेवा में समूह 'क' पदों में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा के साथ जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।</p>
3.	स्तर 13 (123100-215900 रु.) में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)। (उप महासर्वेक्षक/निदेशक)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	<p>(i) अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी में नियमित सेवा, यदि कोई हो, सहित ज्येष्ठ समयमान में नौ वर्ष की नियमित सेवा वाले सेवा अधिकारी; या</p> <p>(ii) सेवा में समूह 'क' पदों में तेरह वर्ष की नियमित सेवा वाले सेवा के अधिकारी जिनमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ समयमान में होनी चाहिए, जिसके</p>

			अंतर्गत अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी में नियमित सेवा, यदि कोई हो, भी है।
4.	स्तर 12 (78800 -209200 रु.) में ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी)। (अधीक्षण सर्वेक्षक)	उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रु.) में ज्येष्ठ समयमान में सेवा के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा प्रदान की हो।
5.	स्तर 11 (67700-208700रु.) में ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस)। (अधीक्षण सर्वेक्षक)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रु.) में कनिष्ठ समयमान में सेवा के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में चार वर्ष सेवा प्रदान की हो।
6.	स्तर 10 (56100-177500 रु.) में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)। (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50% चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	अनुसूची-II के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से। वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में अधिकारी सर्वेक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में चार वर्ष सेवा प्रदान की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची-IV

[नियम 2 (ग), 2 (घ), 2 (ङ), 7 (ख), 7 (ग), 7 (घ) और 10(1) देखें]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में विभिन्न पदों के लिए अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी उन्नयन प्रदान करने और ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी) में प्रोन्नति, पुष्टि और नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय पुष्टि समिति और विभागीय छानबीन समिति की संरचना।

क्र. सं.	श्रेणी या पद या स्तर	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना	विभागीय पुष्टि समिति की संरचना	विभागीय छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्तर 15 (182200-224100 रु.) में उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी)। (भारतीय महासर्वेक्षक)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) सचिव, भूमि संसाधन विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) सचिव, भूमि संसाधन विभाग - सदस्य; (3) सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।
2.	स्तर 14 (144200-218200 रु.) में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)। (अपर महासर्वेक्षक)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) भारतीय महासर्वेक्षक - सदस्य।	लागू नहीं होता।	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) ज्येष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) भारतीय महासर्वेक्षक - सदस्य।

3.	स्तर 13 (123100-215900 रू.) में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)। (उप महासर्वेक्षक/निदेशक)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) भारतीय महासर्वेक्षक - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) अपर महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य।
4.	स्तर 12 (78800-209200 रू.) में ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस) (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी)। (अधीक्षण सर्वेक्षक)		लागू नहीं होता।	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) अपर महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।
5.	स्तर 11 (67700-208700 रू.) में ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस)। (अधीक्षण सर्वेक्षक)	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) भारतीय महासर्वेक्षक - सदस्य (3) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) अपर महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।
6.	स्तर 10 में (56100-177500 रू.) कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) भारतीय महासर्वेक्षक - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) भारतीय महासर्वेक्षक - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एसएम/01/03/2024]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2024

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Survey of India (Group ‘A’) Service Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and the conditions of service to the posts of the Survey of India Group ‘A’ Service, namely: —

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Survey of India (Group ‘A’) Service Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. – In these rules, unless the context otherwise requires,-

- a) “**Cadre Controlling Authority**” means the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India;
- b) “**Commission**” means the Union Public Service Commission;
- c) “**Departmental Confirmation Committee**” in relation to any grade, means a committee constituted to consider confirmation in any grade as indicated in Schedule – IV to these rules;
- d) “**Departmental Promotion Committee**” in relation to any grade, means a committee constituted to consider promotion in any grade as indicated in Schedule – IV to these rules;
- e) “**Departmental Screening Committee**” means a committee constituted to consider placement in Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) and for grant of Non-Functional Up-gradation for various posts in Survey of India Group ‘A’ Service, as indicated in Schedule – IV to these rules;
- f) “**duty post**” means any post included in Schedule – I;
- g) “**examination**” means the Engineering Services Examination conducted by the Commission;
- h) “**Government**” means the Government of India;
- i) “**grade**” means any of the grades specified in column (2) of Schedule-I;
- j) “**regular service**” in relation to any grade, means the period of service in that grade rendered after selection and regular appointment to that grade under the rules and includes any period or periods:-
 - (i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules;
 - (ii) during which an officer would have held that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such posts.
- k) “**Schedule**” means a Schedule annexed to these rules;
- l) “**Service**” means the Survey of India Group ‘A’ Service constituted under rule 3 of these rules;
- m) The expressions ‘Schedule Castes’, ‘Scheduled Tribes’, ‘Other backward Classes’, ‘Economically Weaker Sections’ and ‘Persons with disabilities’ shall have the meanings respectively assigned to them in the Constitution of India or Acts of Parliament or the Government Orders.

3. Constitution of Service. – (1) The Survey of India Group ‘A’ Service shall consist of the persons appointed to the Service under rules 6 and 7.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group ‘A’ posts.

4. Grades, authorised strength and its review. – (1) The duty posts included in the various grades, their number and the level in the pay matrix on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule – I.

(2) The authorised strength of the duty posts in the various grades of the service shall be reviewed from time to time and determined by the Central Government through the established procedure as laid down by the

Department of Personnel and Training and /or Department of Expenditure from time to time.

(3) The Cadre Controlling Authority may, from time to time make such alteration in the sanctioned strength of the duty posts in various grades as it thinks necessary, through the established procedure as laid down by the Department of Personnel and Training and /or Department of Expenditure from time to time.

(4) The Cadre Controlling Authority may, in consultation with the Commission and the Central Government [Ministry of Science and Technology, Department of Expenditure (wherever applicable) and Department of Personnel and Training], include in the Service such posts as may be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, level in pay matrix and professional content, other than those included in Schedule-I, or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Cadre Controlling Authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as it may deem fit, and fix his seniority in such a grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government from time to time.

5. Members of Service. – (1) The following persons shall be the members of the Service, namely: —

- (a) A person deemed to have been appointed to duty post under rule 6; and
- (b) A person appointed to duty post under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall be deemed to be a member of the service in the appropriate grade applicable to him from the date of initial constitution of the service.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him, as specified in Schedule-I, from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of Service. – The officers of the civilian stream of the Survey of India Group 'A' Service holding duty posts in various grades of that Service, as per the Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989, on regular basis or holding lien on such posts, on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the appropriate duty posts and grades in the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. Future maintenance of Service. – The vacancies in any of the grades shall be filled in the manner as hereinafter provided:-

(a) Fifty per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission in accordance with rules made by the Government from time to time, on the basis of the educational qualifications and age-limit specified in Schedule-II.

(b) Fifty per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by promotion of Officer Surveyors, in accordance with the provisions specified in Schedule-III in consultation with the Commission on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-IV.

(c) Appointments in the Service to the posts of Senior Time Scale and above, except to the Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade), shall be made in accordance with the provisions of Schedule-III, by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-IV:

Provided that the post of Surveyor General of India in the Higher Administrative Grade may also be filled by deputation in accordance with the provisions of Schedule-III, in consultation with Commission.

(d) Placement to the Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) shall be made in accordance with the provisions of Schedule-III on the basis of seniority subject to suitability on the basis of the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Schedule-IV.

8. Seniority. – (1) The relative seniority of the members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service has not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regard.

9. Probation. – (1) Candidates appointed to the Service either by direct recruitment under clause (a) of rule 7 or by promotion under clause (b) of rule 7 shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons for doing so within the said period.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officers shall, if, considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examination and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

10. Non-Functional Upgradation. – (1) Non-functional upgradation shall be granted to the eligible officers in various grades (upto Higher Administrative Grade) of the Service on the recommendations of the Departmental Screening Committee, as specified in Schedule IV, whenever an Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying pay in a specific level in the pay matrix, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officer in that particular grade at the centre, in terms of provisions of Annexure-I to the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR), dated the 24th April, 2009, as amended from time to time.

(2) As prescribed in the orders and instructions issued in the matter by the Government, all the terms and conditions, including prescribed eligibility criteria and promotional norms such as 'benchmark' for promotion to a particular grade of the Service, etc. shall have to be met at the time of screening for grant of higher pay-scale.

(3) The 'Batch' of the officers of the Service for determining their eligibility for grant of Non-functional upgradation shall be decided in the manner as hereinafter provided: -

- (a) In respect of directly recruited officers in the entry grade (Junior Time Scale), the 'Batch' year shall be the year following the year in which competitive examination was held through which they were selected. The batch of the officer promoted to subsequent grades of the Service would remain the same for the purpose of grant of non-functional upgradation in different pay levels, provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the 'Batch' with which his seniority is fixed.
- (b) In respect of the officers inducted into the Service through promotion in the entry grade (Junior Time Scale), the batch year shall be the 'Batch' of the directly recruited officers, with whom their seniority is clubbed in the Service. The batch of the officer promoted to subsequent grades of the Service shall remain the same for grant of non-functional upgradation in different pay levels, provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the 'Batch' with which his seniority is fixed.

11. Appointment to Service. – All appointments to the Service shall be made by the Government for all duty posts in various grades of the Service.

12. Liability for service in any part of India and other conditions of Service. – (1) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

(2) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters, for which no provision has been made under these rules, shall be the same as are applicable to the officers of Central Civil Services, from time to time.

13. Disqualifications. – No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14. Power to relax. – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it

may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Savings. –Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections, Persons with disabilities, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

16. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government.

SCHEDULE – I

[See rules 2(f), 2(i), 4(1), 4(4) and 5(3)]

Grade, designation, level in pay matrix and authorised strength of duty posts in Service:

Sl. No.	Grade	Designation	Level in pay matrix	Authorised Strength
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade (HAG).	Surveyor General of India.	Level: 15 (Rs. 182200-224100).	1
2.	Senior Administrative Grade (SAG).	Additional Surveyor General.	Level: 14 (Rs. 144200-218200).	08
3.	Junior Administrative Grade (JAG).	Director/Deputy Surveyor General.	Level: 13 (Rs. 123100 - 215900).	25
4.	Senior Time Scale (STS) (Non-Functional Second Grade).	Superintending Surveyor.	Level: 12 (Rs. 78800-209200).	*
5.	Senior Time Scale (STS).	Superintending Surveyor.	Level: 11 (Rs. 67700-208700).	47 (Including Non-Functional Second Grade)
6.	Junior Time Scale (JTS).	Deputy Superintending Surveyor.	Level: 10 (Rs. 56100-177500).	84
Total				165

* Maximum 30% of the Senior Duty Posts (i.e. posts in the Senior Time Scale and above), provided that the total strength, including that in the Senior Time Scale, shall not exceed the authorised strength of the Senior Time Scale. Non-Functional Second grade shall be operated in terms of provisions of the Department of Personnel and Training OM No. 1671777510047, dated 21.12.2022, as amended from time to time.

SCHEDULE – II

[See rule 7(a)]

The direct recruitment to the post of Deputy Superintending Surveyor in the Junior Time Scale of the Survey of India Group 'A' Service shall be on the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission. The minimum educational qualifications and age-limits for direct recruitment shall be as under: -

Educational Qualification. – (a) obtained a degree in Engineering from a University incorporated by an Act of Parliament or State Legislature in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) passed Sections A and B of the institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or

(c) obtained a degree or diploma in Engineering, from such foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time and such other qualifications as prescribed by the Union Public Service Commission for Engineering Services Examination.

Age-limit. –Candidates shall have attained the age of twenty one years, but shall not exceed the age of thirty years on the crucial date for determining the age-limit as advertised by the Commission at the time of recruitment.

SCHEDULE – III

[See rules 7(b), 7(c) and 7(d)]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Survey of India Group 'A' Service:

Sl. No.	Grade (Duty Post)	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Administrative Grade (HAG) in level 15 (Rs. 182200 – 224100). (Surveyor General of India)	By promotion on selection basis failing which by deputation.	<p>For promotion on selection basis:</p> <p>(i) Officers of the Service in the Senior Administrative Grade in level 14 (Rs. 144200 – 218200) in the pay matrix with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; or</p> <p>(ii) officers of the Service with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least one year regular service should be in the Senior Administrative Grade.</p> <p>For deputation:</p> <p>Officers under Central Government or State Government or Union territories administration holding analogous post or posts in the Senior Administrative Grade (SAG) in level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix with three years' regular service in the grade and having educational qualifications and experience as under:</p> <p>Essential:</p> <p>(iii) Degree in Engineering or Master Degree with Geo-informatics or Geospatial Science or Geodesy or Mathematics or Physics as a subject.</p> <p>(iv) 18 years' experience in organisation and management of an Engineering organisation or a scientific laboratory in the related fields.</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience in Surveying, Photogrammetry or Geodesy or allied subjects.</p> <p>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)</p> <p>Note 1. - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p>
2.	Senior Administrative Grade (SAG) in level 14 (Rs. 144200-218200). (Additional Surveyor General)	By promotion on selection basis.	<p>(i) Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in level 13 (Rs. 123100 – 215900) in the pay matrix with three years' service in Junior Administrative Grade rendered after appointment thereto on regular basis; or</p> <p>(ii) with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least one year regular service should be in the Junior Administrative Grade.</p>
3.	Junior Administrative Grade (JAG) in level 13 (Rs. 123100 – 215900). (Deputy Surveyor General/Director)	By promotion on selection basis.	<p>(i) Officers of the Service with nine years' regular service in the Senior Time Scale, including regular service, if any, in the non-functional second grade; or</p> <p>(ii) officers of the Service with thirteen years' regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at</p>

			least four years' regular service should be in the Senior Time Scale, including regular service, if any, in non-functional second grade.
4.	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) in level 12 (Rs. 78800 – 209200). (Superintending Surveyor)	By placement on seniority basis, subject to suitability.	Officers of the Service in the Senior Time Scale in level 11 (Rs. 67700 – 208700) in the pay matrix with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
5.	Senior Time Scale (STS) in level 11 (Rs. 67700 – 208700). (Superintending Surveyor)	By promotion on selection basis.	Officers of the Service in the Junior Time Scale in level 10 (Rs.56100 – 177500) in the pay matrix with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
6.	Junior Time Scale (JTS) in level 10 (Rs.56100 – 177500). (Deputy Superintending Surveyor)	(i) 50% by direct recruitment.	Through Engineering Services Examination conducted by the Commission, as per Schedule-II.
		(ii) 50% by promotion on selection basis.	Officer Surveyors in level-8 in the pay matrix with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-IV

[See rules 2 (c), 2 (d), 2 (e), 7(b), 7(c), 7(d) and 10(1)]

Composition of Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee and Departmental Screening Committee for considering cases of promotion, confirmation, and placement to Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) and grant of Non-Functional Upgradation for various posts in the Survey of India Group 'A' Service.

Sl. No.	Grade or Post or Level	Composition of the Departmental Promotion Committee	Composition of the Departmental Confirmation Committee	Composition of the Departmental Screening Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade (HAG) in level 15 (Rs. 182200–224100). (Surveyor General of India)	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman ; (2) Secretary, Department (3) Secretary, Department of Land Resources – Member .	Not applicable.	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ; (2) Secretary, Department of Land Resources – Member ; (3) Secretary, Department of Biotechnology – Member .
2.	Senior Administrative Grade (SAG) in level 14 (Rs. 144200–218200). (Additional Surveyor General)	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman ; (2) Secretary, Department (3) Surveyor General of India – Member .	Not applicable.	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ; (2) Senior Adviser, Department of Science and Technology – Member ; (3) Surveyor General of India – Member .
3.	Junior Administrative Grade (JAG) in level 13 (Rs. 123100 – 215900).	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman ;	Not applicable	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ;

	(Deputy Surveyor General/Director)	(2) Surveyor General of India – Member ; (3) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member .		(2) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member ; (3) Additional Surveyor General, Survey of India Department of Science and Technology – Member .
4.	Senior Time Scale (STS) (Non-Functional Second Grade) in level 12 (Rs. 78800 –209200). (Superintending Surveyor)		Not applicable	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ; (2) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member ; (3) Additional Surveyor General, Survey of India Department of Science and Technology – Member .
5.	Senior Time Scale (STS) in level 11 (Rs. 67700 – 208700). (Superintending Surveyor)	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ; (2) Surveyor General of India – Member ; (3) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member .	Not applicable	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ; (2) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member ; (3) Additional Surveyor General, Survey of India Department of Science and Technology – Member .
6.	Junior Time Scale (JTS) in level 10 (Rs. 56100 – 177500).	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman ; (2) Surveyor General of India – Member ; (3) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member .	(1) Secretary, Department of Science and Technology – Chairman ; (2) Surveyor General of India – Member ; (3) Joint Secretary, Department of Science and Technology – Member .	Not Applicable.

[F. No. SM/01/03/2024]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.